लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

विज्ञापन

विज्ञापन संख्याः12/ल.सिं./स.बो.टे.–चयन/2014–15 दिनांकः29 अक्टूबर, 2014

भर्ती के पद का नाम – सहायक बोरिंग टेक्नीशियन,समूह–'ग'

शासनादेश संख्याः 2077/62–2–2014–2/4(03)/2013 दिनांक 02.09.2014 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में सहायक बोरिंग टेक्नीशयन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आन–लाइन आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2014 से 24.12.2014 तक आमंत्रित किये जाते है। आन–लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1– रिक्त पदों का विवरण

क. सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य (अनारक्षित)	आरक्षित		
				अ0पि0 वर्ग	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति
1	सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समूह–'ग'	423	211	115	89	08

(1) (वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900)

(2) रिक्तियों की कुल संख्या 423 है। विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या (सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों में) घट/बढ़ सकती है।

(3) **उक्त रिक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा।**

2– अर्हतायें

(1) राष्ट्रीयता

सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि,

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी–'ख' या 'ग' के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी–'ख' के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी–'ग'का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

3– शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं–

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2)–क राजकीय प्राविधिक केन्द्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र आवेदन के दिनांक को अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है।

या

(ख) निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया न्यूनतम दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार द्वारा दिया गया तीन वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आवेदन के दिनांक को अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है।

(1)	**मशीन मिस्त्री (मशीनिष्ट)**	(2)	**फिटर**
(3)	**वायर मैन**	(4)	**टर्नर**

4– अधिमानी अर्हताएंः–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

5– आयु सीमाः–

(1) अभ्यर्थियों को एक जुलाई, 2014 को 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1974 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) आयु सीमा में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जन जाति, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(3) उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट की जाय।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

(4) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

6– आरक्षणः–

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार निम्नवत दिया जायेगा।

1–	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
2–	अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
3–	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत

इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला अभ्यर्थियों तथा कुशल खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। क्षैतिज आरक्षण में आरक्षित पद यदि अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थियों भरा जायेगा व भविष्य के लिये अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

1–	महिला वर्ग के लिये आरक्षण	20 प्रतिशत
2–	भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण	05 प्रतिशत
3–	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु आरक्षण	02 प्रतिशत
4–	कुशल खिलाड़ी के लिये आरक्षण	02 प्रतिशत

शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिये आरक्षण शासनादेश संख्या– 35/65–3–11–78–99 दिनांक 12.01.2013 में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पद चिन्हांकित न होने के कारण आरक्षण लागू नहीं है। अतः इसमें विकलांगजनों का कोई आरक्षण नहीं है।

नोट :–

(1) आरक्षण/ आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–01 में मुद्रित तथा बेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले एवं साक्षात्कार के समय अथवा जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे चयन समिति को प्रस्तुत करें।

(2) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/ उपश्रेणी अवश्य अंकित करें।

(3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/ आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों तथा कुशल खिलाड़ियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) ही आते है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए।

(6) **<u>कुशल खिलाड़ियों के लिए ''खेलों'' तथा खेल के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण।</u>**

प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1809/बयालिस–2006–1/ए क्यू4/05 खेलकूद अनुभाग लखनऊ दिनांक 11.09.2006 द्वारा की गयी है। प्रश्नगत क्षैतिज आरक्षण 50 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण की सीमा तक ही अनुमन्य होगा।

कुशल खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 20/5/2002–का–2/2002 दिनांक 20.07.2002 में की गयी व्यवस्था के अनुसार लागू होगा।

प्रदेश के खेलकूद विभाग से मान्यता प्राप्त ''खेल'' निम्नवत् हैः–

1.	आर्चरी	2.	एम्योपोर एथलेटिक्स	3.	बास्केटबाल
4.	बाक्सिंग	5.	फुटबाल	6.	जिम्नास्टिक
7.	हैण्डवाल	8.	हाकी	9.	जूडो
10.	राइफल	11.	रोईंग	12.	स्वीमिंग
13.	टेबुल–टेनिस	14.	बालीबाल	15.	भारोत्तोलन
16.	कुश्ती	17.	तलवारबाजी	18.	ताइक्वांडो
19.	टेनिस	20.	बैडमिन्टन	21.	खो–खो
22.	कबडडी				

(क) उक्त मान्यता खेलों के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अर्न्तविश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर खिलाड़ियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किये गये है।

1.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा राज्य एसोसिएशन के सचिव।
3.	अर्न्तविश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्टस अथवा क्रीड़ाओं के कोई अन्य सर्व कार्यभार अधिकारी।
4.	राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद	राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूल खेल/क्रीड़ा के सर्व कार्यभारी निदेशक अथवा अतिरिक्त संयुक्त या उप निदेशक।
5.	राज्य प्रतियोगिता	प्रादेशिक खेलकूद संघ के सचिव।

(ख) उक्त मान्यता प्राप्त खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय एवं स्कूल स्तर को निम्नवत स्पष्ट किया जा रहा हैः–

1.	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	(ओलम्पिक, कामनवेल्थ, एशियन गेम्स, एफ्री एशियन गेम्स में) भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व (विश्वकप/क्रिकेट टेस्ट मैच।
2.	राष्ट्रीय स्तर	उक्त प्रस्तर–1 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व (वरिष्ठ वर्ग में)
3.	राज्य स्तर	राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (वरिष्ठ वर्ग) में प्रदेशीय टीम का प्रतिनिधित्व।

4.	विश्वविद्यालय	अन्तर विश्वविद्यालय जोनल व उससे ऊपर की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व।
5.	स्कूल	राष्ट्रीय स्कूली चैम्पियनशिप में प्रदेशीय स्कूली टीम का प्रतिनिधित्व।

(ग) भर्ती के लिए आवेदन पत्र के साथ ''कुशल खिलाड़ी'' के जो प्रमाण पत्र संलग्न लिए जायेगे वह प्रमाण पत्र ऊपर प्रस्तर–2 में अंकित ''सक्षम प्राधिकारी'' के स्तर से ही जारी किये जाने पर ही वैध माने जायेंगे और उन्हीं प्रमाण पत्रों पर सम्बन्धित को लाभ अनुमन्य होगा।

7– आवेदन शुल्क–

आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैः–

(1) **अनारक्षित (सामान्य)**–आवेदन शुल्क रू0 200/–(+बैंक चार्जेज अतिरिक्त)
(2) **अन्य पिछड़ा वर्ग–** आवेदन शुल्क रू0 200/– (+बैंक चार्जेज अतिरिक्त)
(3) **अनुसूचित जाति –** आवेदन शुल्क रू0 100/– (+बैंक चार्जेज अतिरिक्त)
(4) **अनुसूचित जनजाति–**आवेदन शुल्क रू0 100/– (+बैंक चार्जेज अतिरिक्त)
(5) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित–** कमांक–1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार।
(6) **भूतपूर्व सैनिक–** कमांक–1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार।
(7) **महिला–** कमांक–1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार।
(8) **कुशल खिलाड़ियों के लिये–** कमांक–1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार।

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में दिये गये भुगतान विकल्पों के अनुसार आन–लाइन प्रकिया में अपनी श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे।

8– चरित्र–

सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

9– वैवाहिक प्रास्थिति–

ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगे, जब तक की महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10– शारीरिक स्वास्थ्य –

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का

दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

11– <u>लिखित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम</u>

(1) चयन समिति उक्त चयन हेतु लखनऊ शहर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर आफ लाइन कामन (Common) लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी।

(2) **<u>लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>–** लिखित परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यथा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल स्तर की गणित और अर्हताओं मे दर्शायें गये व्यवसायों से सम्बन्धित औद्योगिक प्राविधियों के प्रश्नों के साथ–साथ सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होगें।

(3) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें व्यवसायिक परीक्षा के 30 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न एवं सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न कुल 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 90 अंको की होगी। लिखित परीक्षा का समय 2.00 घण्टे होगा।

(4) परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(5) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने हेतु केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करे। पेंन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करे।

(6) उत्तर पत्रक मे भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जायेगा।

(7) अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 सीट (उत्तर पुस्तिका) में कोई रफ वर्क नहीं करेगा। रफ कार्य हेतु प्रश्न पत्र के सादे पृष्ठ/अंश का उपयोग करें।

12– <u>साक्षात्कार</u>

(1) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु उक्त लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर आवश्यक संख्या में आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर तैयार की गयी मेरिट के अनुसार होगा। अतः अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है।

(2) प्रमाण पत्रों की जांच मूल प्रमाण पत्रों से साक्षात्कार के समय होगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय उनके द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों/ सूचनाओं यथा शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, आयु सीमा की छूट इत्यादि के सम्बन्ध मे किये गये दावों की पुष्टि हेतु उन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति की दो प्रतियों में आन–लाइन आवेदन की दो स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। दावों की

पुष्टि मे स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और साक्षात्कार से वंचित कर दिया जायेगा।

(3) साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ जो विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा उक्त के अतिरिक्त दो अप्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

(4) अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय आन–लाइन प्रवेश पत्र जिसके आधार पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, की दो प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(6) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रमाण पत्रों की जांच मूल प्रमाण पत्रों से साक्षात्कार के समय होगी और आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाएं मूल प्रमाण पत्रों से मेल न खाने, गलत होने, निर्धारित अर्हताएं न होने इत्यादि की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः साक्षात्कार हेतु आमंत्रण मात्र, अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना इंगित नहीं करेगा।

<u>अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

(1) अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व विभागीय वेबसाइट http://minorirrigation.up.nic.in या www.minorirrigation.up.nic.in **या** http://abtselection.in **या** www.abtselection.in में दिये गये विस्तृत विज्ञापन को भली–भांति अध्ययन करने के पश्चात आवेदन करे।

(2) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र में यथावांछित सूचना पूर्ण रूपेण सही और सावधानी पूर्वक भरी जाय।

(3) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार आवश्यक आवेदन शुल्क जैसा विज्ञापन में दिया गया है, के अनुसार जमा करना सुनिश्चित करें।

(4) अभ्यर्थी जन्मतिथि के प्रमाण हेतु केवल हाईस्कूल अथवा हाईस्कूल के समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि भरना सुनिश्चित करें। क्योंकि इन्ही प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

(5) आयु की गणना के लिये निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है।

(6) आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों/ सूचनाओं यथा शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, आयु सीमा की छूट इत्यादि के सम्बन्ध में किये गये दावों से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों को स्कैन करके अटैच करना होगा। साथ ही यथा स्थान फोटो एवं हस्ताक्षर भी स्कैन कर चस्पा (paste) करना होगा।

(7) आवेदन Submit करने के पश्चात भरी गयी किसी भी प्रविष्टि में परिर्वतन सम्भव नहीं होगा। बल्कि यदि अभ्यर्थी इसमें परिर्वतन करना चाहता है तो

अभ्यर्थी को पुनः शुल्क जमा कर दुबारा आवेदन करना होगा, इस नये आवेदन/रजिस्ट्रेशन में प्राप्त प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(8) अभ्यर्थी आवेदित आन–लाइन आवेदन की दो प्रतियां रिकार्ड हेतु अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जिससे भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग/प्रस्तुत कर सके।

(9) अपूर्ण, अस्पष्ट या गलत सूचनाओं के आधार पर अथवा गलत भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(10) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के सम्बन्ध में सिफारिस करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा विभाग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनो से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को होगा।

(11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन मे नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य मे विभागीय परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(12) साक्षात्कार के समय यदि यह पुष्टि होती है कि गलत तथ्यों/प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं ही आवेदन हेतु मान्य हैं। यदि कोई अभ्यर्थी उल्लिखित अर्हताओं से इतर अथवा उच्च अर्हताओं के आधार पर आवेदन करता है और साक्षात्कार के समय इसकी पुष्टि होती है तो ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) ऐसे अभ्यर्थी का चयन/ नियुक्ति नही की जायेगी जब तक कि मानसिक/शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(14) चयन समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के उपरान्त उपयुक्त अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु ई–प्रवेश पत्र निर्गत करेगी, जो वेबसाइट पर आन–लाइन उपलब्ध होंगे तथा जिन्हें अभ्यर्थी अपना यूजर आई0डी0 प्रयोग कर डाउनलोड कर सकेंगे।

(15) परीक्षा की तिथि समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध मे अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस संबंध मे कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(16) यदि अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो वेबसाइट http://abtselection.in **या** www.abtselection.in पर प्रदर्शित हो रहे हेल्प लाइन नम्बर 0522–4090513, 0522–4090514 पर सम्पर्क कर अपनी कठिनाई /समस्या का हल प्राप्त कर सकते है।

(17) कृपया **अभ्यर्थी** उपरोक्त विभागीय वेबसाइटों को नियमित रूप से सूचना/निर्देशों को जानने हेतु देखते रहे।

(18) अभ्यर्थी अपना मोबाइल नम्बर आन-लाइन आवेदन पत्र में अवश्य अंकित करें ताकि एस0एम0एस0 द्वारा सूचनाएं दी जा सके।

(19) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु किसी भी दशा में कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

....

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी...................................... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 जैसा कि समय–समय पर यथा संशोधित हुआ/ संविधान (अनुसूचित जन जाति उत्तर प्रदेश) आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... मे सामान्यतया रहता है।

स्थान	हस्ताक्षर ....
दिनांक	पूरा नाम ....
मुहर	पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछ्ड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

<u>प्रारूप–1</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर.............................. जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछ्ड़ी जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछ्ड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम,1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वत्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछ्ड़े वर्गो के लिए) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछ्डें वर्गो के लिए) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गयी है से आच्छदित नहीं है। इनके माता पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इसे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम... तहसील..................................नगर .... जिला.................................... मे सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर..
दिनांक .... पूरा नाम ....
मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम......................... तहसील .... नगर.................................. जिला .... उत्तर प्रदेश (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
जिलाधिकारी ....
सील ....